मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन-462004

क्रमांक एफ. 22/21/98/1/10

भोपाल, दिनांक 15 जनवरी, 1999

प्रति,

1. शासन के समस्त विभाग,
2. अध्यक्ष, राजस्व मंडल,
   मध्यप्रदेश ग्वालियर.
3. समस्त आयुक्त,
   मध्यप्रदेश.
4. समस्त विभागाध्यक्ष,
5. समस्त जिलाध्यक्ष,
   मध्यप्रदेश.

विषय :—राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरों द्वारा जांच किये गये प्रकरणों में नियमित विभागीय कार्यवाही हेतु अनुशंसा शासकीय विभागों द्वारा विभागीय कार्यवाही करने की अनिवार्यता.

उपर्युक्त विषय पर गृह विभाग (सी-अनुभाग) के परिपत्र क्रमांक एफ. 35/125/89/सी-1, दिनांक 23 जून 1989 द्वारा विस्तृत निर्देश प्रसारित किये गये थे. इस परिपत्र की प्रतिलिपि संलग्न है.

2. संक्षेप में मुख्य निर्देश यह है कि यदि ब्यूरों द्वारा किसी लोक सेवक के विरुद्ध नियमित विभागीय कार्यवाही की अनुशंसा की गई हो तो विभाग द्वारा ऐसी कार्यवाही बिना विलम्ब के की जानी चाहिये और उसकी सूचना ब्यूरों को दी जानी चाहिये. यदि किसी कारणवश ब्यूरों से मतभेद हो और विभाग कार्यवाही न करना चाहे तो विभाग कारण बताते हुए ब्यूरों को सूचित करें जिससे कि ब्यूरों पुनः राय दे सके.

3. शासन के ध्यान में आया है कि उपरोक्त स्पष्ट निर्देशों के बावजूद कतिपय विभागों द्वारा उक्त निर्देशों के परिपेक्ष्य में ब्यूरों से प्राप्त प्रस्ताव को अपेक्षित गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है. ब्यूरों के प्रस्ताव अनुसार आरोपी अधिकारी के विरुद्ध यथासमय कार्यवाही नहीं की जाती है और ब्यूरों को सूचित भी नहीं किया जाता.

4. अतः संलग्न निर्देशों की ओर सभी का ध्यान पुनः आकर्षित किया जाता है और अपेक्षा की जाती है कि इन निर्देशों के अनुसार ब्यूरों के प्रतिवेदन पर शासन के सभी विभागों और अधिकारियों द्वारा त्वरित कार्यवाही की जायेगी.

हस्ता./-

(ए. व्ही. ग्वालियरकर)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

गोपनीय

मध्यप्रदेश शासन
गृह विभाग (सी-अनुभाग)

क्रमांक एफ. 35/125/89/सी-1,

भोपाल, दिनांक 23 जून 1989

प्रति,

1. शासन के समस्त विभाग,
2. अध्यक्ष, राजस्व मंडल,
मध्यप्रदेश ग्वालियर.
3. समस्त आयुक्त,
मध्यप्रदेश.
4. समस्त विभागाध्यक्ष,
5. समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय :—राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जांच किये गये प्रकरणों में नियमित विभागीय कार्यवाही हेतु अनुशंसा शासकीय विभागों द्वारा विभागीय कार्यवाही करने की अनिवार्यता-निर्देश.

प्राय : देखा गया है कि राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरों द्वारा अनुशासिक प्राधिकारियों को दोषी लोक सेवकों के विरुद्ध जांच प्रतिवेदन भेजने पर त्वरित कार्यवाही नहीं की जाती है तथा कई प्रकरणों में अनुशासिक प्राधिकारी यह निश्चित नहीं कर पाते है कि किस प्रकार की कार्यवाही दोषी लोक-सेवक के विरुद्ध संस्थित की जावे. अत: राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यरों द्वारा भेजे गये ऐसे प्रतिवेदन, जिसमें नियमित विभागीय कार्यवाही अथवा आवश्यक कार्यवाही करने की अनुशंसा की जाती है अथवा प्रक्रिया के संबंध में सुझाव दिये गये हो, उनमें शासन के विभागों/विभागाध्यक्षों/अनुशासिक प्राधिकारियों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिये निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं:—

(1) ब्यूरो के ऐसे जांच प्रतिवेदन जिसमें किसी भी लोक सेवक के विरुद्ध कोई कार्यवाही अनुशंसित न हो, बल्कि प्रक्रिया में संशोधन का सुझाव दिया गया हो, उनमें प्रस्तावित संशोधन के प्रशासकीय/वित्तीय पहल पर पूर्ण विचार कर आवश्यक संशोधन आदेश जारी किये जावे तथा गृह (सी-अनुभाग) विभाग तथा राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यरो को तदनुसार सूचित किया जावे.

(2) ब्यूरों के ऐसे प्रतिवेदन जिनमें दोषी लोक-सेवकों के अथवा किसी अन्य से शासन को हुई आर्थिक क्षति की वसूली के संबंध में अनुशंसा हो, उन पर पूर्ण विचारोपरांत आर्थिक क्षति वसूली की कार्यवाही आवश्यक रूप से की जावे तथा गृह (सी-अनुभाग) विभाग तथा राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यरो को संसूचित किया जावें.

(3) ब्यूरों के ऐसे प्रतिवेदन, जिनमें दोषी लोक सेवकों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की अनुशंसा हो, उनमें अनुशासिक प्राधिकारी स्व-विवेक से निर्णय ले तथा की गई कार्यवाही से गृह विभाग तथा राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यरो को संसूचित किया जावे.

(4) ब्यरो के ऐसे प्रतिवेदन, जिनमें दोषी लोक सेवकों के विरुद्ध नियमित विभागीय कार्यवाही करने की अनुशंसा हो उनमें अनुशासिक प्राधिकारी द्वारा नियमित विभागीय कार्यवाही संस्थित करना आवश्यक है क्योंकि ब्यरो द्वारा अनुशंसा पर्याप्त विधिक परीक्षण

के पश्चात् की जाती है. जिन प्रकरणों में अनुशासिक प्राधिकारी ब्यूरों की अनुशंसा से असहमत हो, उनमें कारणों का विस्तृत लेख करते हुए गृह विभाग तथा ब्यरो को संसूचित किया जावें. ऐसे प्रकरणों में दर्शाए गए कारणों का परीक्षण कर ब्यरों पुनः अपनी राय देगा. उन प्रकरणों में जिनमें अनुशासिक प्राधिकारी नियमित विभागीय कार्यवाही के लिये सहमत हो किन्तु किसी आरोप विशेष के संबंध में मत भिन्नता हो, उनमें भी कारणों का विस्तृत लेख करते हुए इस विभाग के माध्यम से ब्यरो से पुनः राय ली जाए.

निवेदन है कि उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जावें तथा यह सुनिश्चित किया जावें कि राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यरों द्वारा प्रतिवेदित प्रकरणों में की गई कार्यवाही की सूचना गृह विभाग तथा ब्यरों को अविलंब दी जावें.

हस्ता./-

(पी. एन. गर्ग)
उप सचिव.

पृ. क्र. एफ-35-125/89/सी-1, भोपाल, दिनांक 23 जून 1989

प्रतिलिपि :

महानिदेशक, राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यरों, मध्यप्रदेश भोपाल की ओर उनके ज्ञापन क्रमांक ब्यरो अपराध/निविका/विविध/89-955, दिनांक 6-5-89 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित.

हस्ता./-

(पी. एन. गर्ग)
उप सचिव.